न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 15 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. भैरूराम पुत्र मेगाराम उम्र 50साल जाति नाई निवासी खेडाल तहसील शिव जिला बाड़मेर।

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1.नाथुराम पुत्र मोहनराम का.मु:–
1/1सुर्यकान्त पुत्र नाथुराम
1/2धमेन्द्र पुत्र नाथुराम
1/3कलादेवी पत्नी नाथुराम जाति नाई निवासी मैजर वीरसिंह मार्ग, राय कॉलोनी बाड़मेर।
2.मदनलाल पुत्र मोहनराम
3.देऊराम पुत्र मोहनराम
4.हरचन्दराम पुत्र मेगाराम
5.छगनराम पुत्र मेगाराम
6.रामुराम पुत्र मेगाराम
7.शंकराराम पुत्र मेगाराम के वि.वारिशानः–
7/1नारायणलाल पुत्र शंकराराम
7/2केवलचन्द पुत्र शंकराराम
7/3अमृतलाल पुत्र शंकराराम
7/4गवरीदेवी पत्नी शंकराराम जाति नाई निवासी खोडाल तहसील शिव
8.मिसराराम पुत्र मेगाराम के वि. वारिशानः
8/1राजेन्द्र कुमार पुत्र मिसराराम
8/2लूणकरण पुत्र मिसराराम
8/3प्रकाश पुत्र मिसराराम
8/4भरत पुत्र मिसराराम
8/5केकुदेवी पत्नी मिसराराम जाति नाई निवासी पुराना पावर हाऊस विश्वकर्मा मन्दिर के पास राय कॉलोनी बाड़मेर।
9.प्रबन्धक एस बी बी जे शाखा शिव
10.तहसीलदार शिव।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 124/2016 बअनवान भैरूराम बनाम नाथुराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2019 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नृसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रामस्वरूप भाटी रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

दिनांकः– 27.08.2019

Scanned by CamScanner

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 08 के संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा खोडाल पटवार हल्का राजडाल में खेत खसरा संख्या 36 रकबा 10 बीघा, खसरा संख्या 40 रकबा 06.07 बीघा, खसरा संख्या 130 रकबा 26.11 बीघा, खसरा संख्या 177 रकबा 71 बीघा, खसरा संख्या 214 रकबा 107.03 बीघा कुल रकबा 221.01 बीघा आये हुए है। विवादित भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 08 मिसराराम चुन्नीलाल के गोद चले जाने के कारण तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के द्वारा वादग्रस्त समस्त भूमि में हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 04 से 07 के पक्ष में त्याग कर दिया तथा पारिवारिक बंटवाडे में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तथा 8 अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी संख्या 04 से 07 के पक्ष मं कर एक लिखित भी दिनांक 13.07.2002 को 100 रूपये के स्टाम्प पर मौजीज लोगो के रूबरू निष्पादित किया गया है। उक्त पारिवारिक बंटवाड़े के बाद वादग्रस्त भूमि वादी का 1/5 हिस्सा, प्रवितादी संख्या 04 से 07 प्रत्येक 1/5, 1/5 हिस्सा खातेदारी का है तथा प्रतिवादी संख्या 01 से 03 तथा प्रतिवादी संख्या 08 का मौके पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। पक्षकारान अपने 1/5, 1/5 हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है तथा इसी हिस्सो के माफिक वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 से 07 विवादित भूमि पर काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कथित बंटवाड़ा व हकतर्कनामा बनावटी तथा फर्जी है। वादी द्वारा प्रस्तुत हकतर्कनामा एवं बंटवाड़ा का दस्तावेज जो अपंजीकृत दस्तावेज है उस दस्तावेज का सही होना या फर्जी होने बाबत इस स्टेज पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता है दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के बाद ही उक्त दस्तावेज के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को वाद के अंतिम निस्तारण के समय इसका सही होने या फर्जी होने के तथ्य पूर्ण पता चल सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र को प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज करने में इंसाफन एवं कानूनन उचित नहीं किया है। वादी/अपीलांट ने अपने वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त खेतों पर अपीलकर्ता का 1/5 हिस्से पर कब्जा व काश्त है तथा उसकी रहवासी ढाणी, टांके, चारबाडे इत्यादि बने हुए है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त खेत के कब्जे बाबत किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करते हुए मात्र हकतर्कनामा व बंटवाड़े का दस्तावेज अपंजीकृत होने के आधार पर उक्त वाद पत्र को खारिज करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा एक आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी पी सी का प्रस्तुत कर यह अभिकथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कथित बंटवाड़ा व हकतर्कनामा बनावटी तथा फर्जी है। वादी द्वारा प्रस्तुत हकतर्कनामा एवं बंटवाड़ा का दस्तावेज जो अपंजीकृत दस्तावेज है उस दस्तावेज का सही होना या फर्जी होने बाबत इस स्टेज पर किसी प्रकार का निर्णय नहीं किया जा सकता है दोनों पक्षों की साक्ष्य आने के बाद ही उक्त दस्तावेज के बारे में अधीनस्थ न्यायालय को वाद के अंतिम निस्तारण के समय इसका सही होने या फर्जी होने के तथ्य पूर्ण पता चल सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र के प्रारम्भिक स्तर पर ही वाद पत्र को खारिज करने में इसाफन एवं कानूनन उचित नहीं है। वादी/अपीलांट ने अपने वाद में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि वादग्रस्त खेतों पर अपीलकर्ता का 1/5 हिस्से पर कब्जा व काश्त है तथा उसकी रहवासी ढाणी, टांके, चारबाडे इत्यादि बने हुए है ऐसी स्थिति में वादग्रस्त खेत के कब्जे बाबत किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करते हुए मात्र हकतर्कनामा व बंटवाड़े का दस्तावेज अपंजीकृत होने के आधार पर उक्त वाद पत्र को खारिज करना विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2016(1) Page 465
DNJ 2019(1) Page 01
DNJ 2017(4) Page 1792
RRT 2019(1) Page 116
RRT 2018(1) Page 489

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/वादी एवं प्रतिवादी संख्या 04 से 07 ने प्रतिवादी संख्या 01 से 03 को उनके जायज पुश्तैनी हकों से वंचित करने की नीयत से फर्जी एवं कूटरचित हकतर्कनामा तैयार कर एवं उक्त हकतर्कनामा को आधार बनाकर हस्तगत वाद पेश किया है। पक्षकारान के मध्य ऐसा कोई बंटवाड़ा या हकतर्कनामा कभी निष्पादित नहीं हुआ है। उक्त फर्जी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

एवं अपंजीकृत हकतर्कनामा के आधार पर प्रस्तुत किया गया वाद विधि से वर्जित एवं युक्तियुक्त नहीं है। अपीलांट/वादी द्वारा जिस दस्तावेज को अपने वाद का आधार बनाया गया है उसका न तो कोई विधिक आधार है और न उसका राजस्व रेकर्ड में कोई क्रियान्वयन हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुन कर पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि इंगित नहीं होती है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

AIR 2009 SC Page 3077
DNJ (Raj.) Page 679
DNJ 2012(3) (Raj.) Page 1705
RRT 2018(1) Page 780
RRT 2017(2) Page 1100
RRT 2019(1) Page 1
RRD 2017 Page 297
DNJ 2016(SC) Page 644

अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के संदर्भ में मामले का परीक्षण किया। अधीनस्थ न्यायालय मे वाद की मुख्य इस्तदुआ में जो हक हिस्सा घोषित कर तदनुसार विभाजन करवाना चाहा है वह एक अपंजीबद्ध हकतर्कनामा है जिसे प्रतिवादीपक्ष अस्वीकार करता है। यह अंपजीबद्ध रिलीफ डीड की भांति एक लिखित करार दिनांक 13.07.2002 है 100 रू के स्टाम्प पर लिखा गया है। यह लिखित न तो रजिस्टर्ड है और न ही पूर्ण स्टांम्ड ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने माना है कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में उनके वास्तविक वारिसान हकानुसार इन्द्राज है। वादी बंदिज दस्तावेज को अपने वाद का आधार बताया गया है उसका न तो कोई विधिक आधार है और न उसका राजस्व रिकॉर्ड में कोई क्रियान्वयन हुआ है, यह एक प्रकार का इकरार है जिसे सक्षम सिविल न्यायालय में सही साबित कराने का जिम्मा वादी का है। अपंजीबद्ध एवं अपूर्ण स्टांपित हकतर्कनामा के संबंध में वादी वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हूबहू चस्पा नहीं होते है जबकि रेस्पोडेंट वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें इस प्रकरण पर हूबहू और स्पष्ट रूप से चस्पा होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पत्र को सर्वप्रथम विधि के बिंदु पर आदेश 07 नियम 11 के आवेदन पर बाद विवेचन खारिज करने कोई कानूनी भूल नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय रेस्पोडेंट वकील के द्वारा प्रस्तुत दलीलों एवं न्यायिक नजीरों के आलोक में विधि सम्मत है। इसमे किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दखल की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 124/2016 बअनवान भैरूराम बनाम नाथुराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.01.2019 को यथावत रखा जाता है।

(नरपतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner